भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

जनवरी, 2022 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. माह के दौरान, वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ (215.00 करोड़ रुपये), केरल (240.60 करोड़ रुपये) और उत्तराखंड (82.48 करोड़ रुपये) राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मूल (अबद्ध) अनुदान की दूसरी किस्त जारी की। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने मेघालय राज्य को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 45.50 करोड़ रुपये के बद्ध अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है।

2. 15वें वित्त आयोग अनुदान की 25,944.58 करोड़ रुपये की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों/पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव जिसमें घरेलू अपशिष्ट, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन, आदि शामिल हैं, के साथ बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए प्रबंधन और उपचार के लिए जारी किया गया है।

3. ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए प्रावधानित केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के समय पर जारी करने और उपयोग के संबंध में दिनांक 28.01.2022 को सचिव, पंचायती राज

और सचिव, पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

4. संयुक्त सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में ऑडिट ऑनलाइन के कार्यान्वयन की प्रगति पर एक समीक्षा बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2022 को राज्यों के पंचायती राज विभागों और राज्यों के लेखा परीक्षा विभागों के अधिकारियों/पदाधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए पंचायत खातों की लेखापरीक्षा के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए, राज्य पंचायतों के अपेक्षित लेखापरीक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

5. स्वामित्व योजना के तहत, गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांव के गृह मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिपुरा की स्वायत्त जिला परिषद (छठी अनुसूची क्षेत्र) और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और असम के कार्बी आंगलोंग सहित सर्वेक्षण और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य राज्यों के साथ चर्चा चल रही है। साथ ही, योजना पर ऑनबोर्डिंग के लिए शेष स्वायत्त जिला परिषदों (छठी अनुसूची क्षेत्रों) के साथ निरंतर चर्चा की गई। माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा बजट व्यय और योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। स्वामित्वयोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा/अवलोकन/निगरानी के लिए दूसरी बैठक अंतर-मंत्रालयी समिति आयोजित की गई थी। इसके अलावा, राज्यों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और एनआईसी के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। योजना के तिमाही लक्ष्यों पर माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय के साथ चर्चा की गई। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया में हैं जहां संपत्ति कार्ड संतोषजनक ढंग से वितरित किए जाते हैं। अब तक 1,02,753 गांवों में ड्रोन उड़ाने और 92 जिलों के सभी आबादी गांवों में ड्रोन-सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है।

6. सचिवों की समिति की बैठक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार, दिनांक 12 नवंबर, 2021 को स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। सचिवों की समिति में पंचायती राज मंत्रालय के संदर्भ में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट इस प्रकार है:

क्रम सं.	कार्रवाई योग्य	स्थिति
1	विभिन्न संसाधनों, ड्रोन आदि की उपलब्धता और तैनाती पर परिचालन	• आईएमसी का गठन और पहली बैठक दिनांक 29 नवंबर, 2021 को संपन्न हुई

	संबंधी मुद्दों के समय पर समाधान के लिए सचिव (डीएसटी), भारतीय सर्वेक्षण विभाग और संयुक्त सचिव (एमओसीए) के साथ सचिव (एमओपीआर) के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया जा सकता है।	• 17 जनवरी, 2022 को आयोजित आईएमसी की दूसरी बैठक संपन्न हुई
2	स्वामित्वमें शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को बोर्ड में लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालयराज्य सरकारों के साथ जुड़ सकता है	• राज्यों के साथ विभिन्न बैठकें • संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने योजना पर ऑनबोर्ड होने की चर्चा के लिए राज्यों का दौरा किया • स्वामित्व योजना पर ऑनबोर्ड होने के संबंध में माननीय मंत्री, पंचायती राज का मेघालय, नागालैंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र
3	पंचायती राज मंत्रालय, डीओएलआर सुधार विभाग और डीएफ़एसअतिरिक्त सुविधाओं की सुविधा के लिए मोरगेज उद्देश्यों के लिए स्वामित्वकार्ड के उपयोग से संबंधित सभी मुद्दों की जांच कर सकते हैं।	• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़े पंचायती राज मंत्रालय - प्रमुख मानकों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीसी प्रारूप का विश्लेषण साझा किया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा की गई और राज्यों को संपत्ति कार्डों की बैंकेबिलिटी के लिए बैंकों के साथ जुड़ने की सलाह दी गई।

7. पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन के लिए, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) अपनाने के लिए सख्ती से प्रयासरत है। इस संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों से अनुरोध कर रहा है। चालू वर्ष अर्थात 2021-22 में 84 % ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ बुक बंद कर दी हैं।

8. 2,31,697 पंचायती राज संस्थाओं में ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑनबोर्ड हैं। जनवरी 2022 के महीने में 1,92,683 पंचायती राज संस्थाओं ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के

व्यय के लिए ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।

9. इसके अलावा, पीआरआई स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करते हुएपंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 23 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन की इस कवायद को पूरा कर लिया है।

10. साथ ही, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए; मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक एप्लिकेशन- ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा देता है और आंतरिक और वाह्य ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए, 27 राज्यों (केरल सहित) ने पहले ही 7,715ऑडिटर, 2,52,334ऑडिटी को पंजीकृत कर लिया है और 14वें वित्त आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए 1,30,129 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की हैं। एप्लिकेशन पर राज्यों द्वारा 11,12,324 टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं और वर्ष 2019-20 के लिए 1,01,992 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 1,35,435 ग्राम पंचायतों, 1,410 ब्लॉक पंचायतों और 74 जिला पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है। राज्यों द्वारा 7,70,750 टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं और कुल 55,698 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जिनमें से 54,742 ग्राम पंचायतों द्वारा, 903 ब्लॉक पंचायतों द्वारा और 53 जिला पंचायतों द्वारा तैयार की गई हैं।

11. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2022 को व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

12. महिलाओं और बाल-हितैषी ग्राम पंचायतों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के साथ दिनांक 05.01.2022 और दिनांक 27.01.2022 को बातचीत हुई।

13. ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ दिनांक 20.01.2022 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए संभावित अभिसरण पर चर्चा हुई।

14. पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के साथ सचिव स्तर की बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2022 को पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

15. राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क 2014 में संशोधन के लिए दिनांक 27.01.2022 को सदस्यों के रूप में प्रमुख एसआईआरडी के संकाय के साथ श्री डब्ल्यूआर रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडी एंड पीआर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

16. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) के लिए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से चार श्रेणियों अर्थात दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत पंचायती राज संस्थानों के सभी तीन स्तरों के लिए ऑनलाइन नामांकन दिनांक31 जनवरी, 2022 की विस्तारित समय सीमा के भीतर आमंत्रित किए गए थे।इन पुरस्कारों के लिए पंचायतों (ग्राम पंचायत-50070, ब्लॉक पंचायत-1538 एवं जिला पंचायत-309) से 51,917अनुप्रयोग प्राप्त हुए हैं। इस दिशा में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 506 सिफारिशें (ग्राम पंचायत-380, ब्लॉक पंचायत-78, जिला पंचायत-48) को आगे की सिफारिशों के साथ दिनांक 06.02.2022 तक विस्तारित समय सीमा के अनुरूप अग्रेषित किया है।

17. माननीय पंचायती राज मंत्री, श्री गिरिराज सिंह ने दिनांक 20.01.2022 को संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देश जारी किए। माननीय पंचायती राज मंत्री ने पंचायती राज संस्थानों से आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को विजन इंडिया2047 के लिए "संकल्प पत्र" के रूप में लेने का आह्वान किया। आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे। वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक अगले पच्चीस वर्षों के लिए सभी पंचायती राज संस्थानों के पास संबंधित पंचायत के लिए एक विजन होना चाहिए और सर्वांगीण विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए और स्थानीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, अन्य पंचायतों की विकासात्मक आवश्यकताएं, रोजगार के अवसर और पंचायतों के संसाधन आधार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश ग्रामीण परिवर्तन के आधार के रूप में काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भूमि उपयोग योजना को सक्षम करेंगे। संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों में शहरी क्षेत्रों में नगर नियोजन योजनाओं की तर्ज पर ग्राम नियोजन स्कीम (वीपीएस), ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (जीपीडीपी) की स्थानिक भूमि उपयोग स्कीम, ग्राम पंचायत विकास के लिए स्थानिक मानकों आदि से जोड़ने के प्रावधान शामिल है। इन दिशानिर्देशों के जारी होने से निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों जैसे अवसंरचनात्मक और सामाजिक बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास में नियोजित विकास की प्रक्रिया को दिशा मिलेगी। गतिविधियों, सड़क और परिवहन संपर्क, भूमि मूल्यों और प्रत्याशित आर्थिक गतिविधियों और नियोजित विकास के लिए कृषि को गैर-कृषि उद्देश्य में बदलने के लिए एक व्यावहारिक समाधान की दिशा में सहायता करेगा।यह आशा की जाती है कि ये संशोधित दिशा-निर्देश राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों और जिला/ब्लॉक स्तर पर स्थित अन्य कार्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जो गांवों में नियोजित बुनियादी ढांचे, भौतिक और सामाजिक दोनों विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

18.1 जनवरी, 2022 तक मंत्रालय के पास 80 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और जनवरी माह के दौरान 371 (अर्थात 357 ऑनलाइन + 14 भौतिक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 451 (जनवरी में प्राप्त 371 + पिछले महीने से 80 अग्रेषित), जनवरी में 338 शिकायतों/याचिकाओं का निपटारा किया गया और 1 फरवरी, 2022 तक 113 को आगे के लिए लंबित रखा गया।

19. जनवरी 2022 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 94 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of January, 2022

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realize the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram SwarajAbhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. During the month, the Ministry of Finance (MoF) released 2nd installment of Basic (Untied) Grants for FY 2021-22 for Rural Local Bodies for the States of Chhattisgarh (Rs. 215.00 crore), Kerala (Rs. 240.60 crore) and Uttarakhand (Rs. 82.48 crore). Further, MoF has released 2nd installment of Tied Grant of Rs. 45.50 crore for FY 2020-21 to the State of Meghalaya.

2. As on date, XV FC grants to the tune of Rs. 25,944.58 crore for F.Y. 2021-22 has been released by the Ministry of Finance to the States for Rural Local Bodies/Traditional Local Bodies for improving basic services including supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling, sanitation & maintenance of ODF status including management and treatment of household waste, human excreta and faecal sludge management, etc.

3. A meeting was held under Chairmanship of Secretary, Panchayati Raj and Secretary, Department of Drinking Water Sanitation, Ministry of Jal Shakti on

28.01.2022 regarding timely release and utilization of Central Finance Commission Grants provisioned for Rural Local Bodies(RLBs).

4. A review meeting on the progress of implementation of AuditOnline under the chairmanship of Joint Secretary, Panchayati Raj was held on 7th January, 2022 with the Officers / functionaries of States' Panchayati Raj Deptts and States' Audit Deptts. All the States except Arunachal Pradesh have achieved the targets regarding audit of Panchayat accounts for the period 2019-20. For the period 2020-21, the States are progressing towards the requisite auditing of Panchayats.

5. Under the SVAMITVA Scheme, with the aim to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of Property cards to the Property owners, 29 States/UTs have signed memorandum of understanding with the Survey of India, including Autonomous District Council (6th Schedule areas) of Tripura and Bodoland Territorial Council and KarbiAnglong of Assam for the implementation of Scheme and discussions are on-going with other States for signing of MoU. Also, Continuous discussions were held with remaining Autonomous District councils (6th Schedule areas) for onboarding on Scheme. Budget expenditure and progress of Scheme was reviewed by Hon'ble MPR. Second meeting inter-ministerial Committee was held to review/oversee/monitor implementation of the SVAMITVA scheme. Furthermore, regular meetings with States, SoI and NIC were held. Quarterly targets of Scheme were discussed with Hon'ble Prime Minister office. States/ UTs are in process of passing GP Resolution in the Gram Panchayats where property cards are distributed satisfactory. Till now, drone flying has been completed in 1,02,753 villages and drone-survey completed in all inhabited villages of 92 districts.

6. A meeting of Committee of Secretaries (CoS) held under the Chairmanship of Cabinet Secretary on Friday, 12-Nov-21 to discuss the progress of SVAMITVA Scheme implementation. The Action taken Report (ATR) w.r.t. MoPR on the decisions taken in the CoS are as follows:

S.No	Actionable	Status

1	An Inter-Ministerial Committee (IMC) may be constituted under Secretary (MoPR) with Secretary (DST), SoI& JS (MoCA) for timely resolution of operational issues on availability and deployment of various resources, drones etc.	• IMC constituted and first meeting held on 29- Nov-2021 • Second meeting of IMC held on 17-Jan-2022
2	MoPR may engage with State Governments to bring the remaining States/ UTs on board in SVAMITVA	• Various meeting held with States • Joint Secretary, MoPR visited States for discussion onboarding on Scheme • Letter from Hon'ble Minister, PR to Hon'ble CM of the State of Meghalaya, Nagaland, Bihar, Telangana, West Bengal regarding onboarding on SVAMITVA Scheme
3	MoPR, DoLR and DFS may examine all issues related to use of SVAMITVA Cards for mortgage purposes for facilitation of additional facilities	• MoPR engaged with States/UTs- Analysis of PC format of States/UTs on key parameters was shared and discussed with States/UTs and States were advised to engage with banks for bankability of Property cards

7. For management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. In the current year i.e. 2021-22, 84% GPs have closed their month books.

8. 2,31,697 PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of January 2022- 1,92,683 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

9. Further, strengthening the accountability and transparency at the PRI level; MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to

capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 23 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

10. Also, for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 27 States (including Kerala) have already registered 7,715 Auditors, 2,52,334 Auditees and prepared Audit Plans of 1,30,129 GPs for Auditing 14th Finance Commission accounts. 11,12,324 observations have been recorded by States on the application and 1,01,992 audit reports have generated for the year 2019-20. For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 1,35,435 GPs, 1,410 BPs and 74 ZPs. 7,70,750 observations have been recorded by States and total 55,698 audit reports have been generated out of which 54,742 by GPs, 903 by BPs and 53 by ZPs generated.

11. The meeting of Expenditure Finance Committee was held on 18.01.2022 under the chairmanship of Secretary (Expenditure) to consider the proposal of revamped Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).

12. Interaction with United Nations Population Funds (UNFPA) was held on 05.01.2022and 27.01.2022 on organizing National-level Workshop on Training of Trainers (ToT) for Women and Child-Friendly Gram Panchayats.

13. A Virtual Meeting was held on 20.01.2022 with Central Ministries comprising Ministry of Rural Development, Ministry of Women and Child Development and Ministry of Health and Family Welfare. During this meeting, discussion was held on possible convergence for Localization of Sustainable Development Goals (SDGs).

14. Secretary level meeting with Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti was held on 28th January, 2022 to discuss on Localization of SDGs through Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Central Finance Commission (CFC) Grants to Rural Local Bodies.

15. A committee under the chairmanship of Shri WR Reddy, Director General, NIRD&PR (Retd.) with faculty from leading SIRDs as members has been constituted on 27.01.2022 for revision of National Capacity Building Framework 2014. The committee will submit its report within 2 months.

16. For National Panchayat Awards 2022 (Appraisal year 2020-21) online nominations for all three tiers of Panchayati Raj Institutions were invited within the extended timeline of 31st January, 2022 from State Governments/Union Territory (UT) Administrations under the four categories namely, Deen Dayal Upadhyay Panchayat SashaktikaranPuraskar, Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar, Gram Panchayat Development Plan Award and Child-friendly Gram Panchayat Award. For these awards, 51,917 applications have been received from Panchayats (Gram Panchayat-50070, Block Panchayat-1538 and District Panchayat-309). Towards this, the States/UTs have forwarded 506 recommendations (Gram Panchayat-380, Block Panchayat-78, District Panchayat-48) with further recommendations anticipated in consonance with extended timeline till 06.02.2022.

17. Hon'ble Minister of Panchayati Raj, Shri Giriraj Singh released revised Rural Area Development Plan Formulation and Implementation (RADPFI) Guidelines on 20.01.2022. Hon'ble MPR called upon Panchayati Raj Institutions to take the RADPFI Guidelines as a "Sankalp Patra" for vision India 2047. RADPFI Guidelines will help in improving the quality of life in rural areas. All Panchayati Raj Institutions should have a vision for respective Panchayat for the next twenty-five years till India's centenary of Independence in 2047 and should embark on formulating a master plan for all-round development and should take all possible efforts to boost local infrastructure, other developmental requirements, employment opportunities and resource base of Panchayats.

    The revised RADPFI guidelines would serve as the basis for rural transformation and enable effective Land use planning in rural areas. The release of RADPFI guidelines would supplement the efforts of the Central Government such as the SVAMITVA Scheme of Ministry of Panchayati Raj and RURBAN Mission of Ministry of Rural Development and facilitate better utilisation of Geospatial information. The

formulation of revised RADPFI guidelines is a continuation to Ministry's efforts towards promotion of Spatial rural planning and would create pathways for rural transformation by developing a perspective for long term planning in villages. The RADPFI Guidelines has been unveiled to ensure ease of living in villages and help minimizing migration to big cities by providing all necessary infrastructure and facilities and also resources and opportunities for livelihood in rural areas. The revised RADPFI Guidelines include Village Planning Scheme (VPS) on the lines of Town Planning Schemes in urban areas; provisions of linking Gram Panchayat Development Programme (GPDP) with Spatial Land Use Planning, spatial standards for Gram Panchayat development etc. The release of these Guidelines would certainly give direction to the process of planned development in various sectors such as physical and social infrastructure, economic activities, road and transport connectivity, land values and anticipated economic activities and will aid towards a workable solution for conversion of agricultural to non-agricultural purpose for planned development. It is expected that these revised guidelines would provide guidance to the State Town and Country Planning Departments, State Rural Development and Panchayati Raj Departments and a host of other offices located at the district/block level which are responsible for the planned infrastructure development, both physical and social in the villages.

18. There were 80 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st January, 2022 and 371 (i.e. 357 online + 14 physical) grievances/ petitions were received during the month of January. Out of total 451 (371 received in January + 80 carried forward from last month), 338 grievances/petitions were disposed in January and 113 were carried forward as on 1st February, 2022.

19. During January 2022, 94 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****